संचिका संख्या : 5338/18

दिनांक : .19.05.2022

आवेदक श्री सूर्यनन्दन कुमार अपने अधिवक्ता श्री प्रताप सिंह के साथ स्वयं उपस्थित है।

आवेदक के द्वारा उनके पुत्री को उनके दामाद और ससुरवालों के द्वारा दहेज में 4 चक्का गाड़ी नहीं दिये जाने के कारण हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने का आरोप लगाते हुए राज्य आयोग के द्वारा हस्तक्षेप करने के अनुरोध के साथ यह आवेदन दाखिल किया गया है।

पूर्व में वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के पत्र के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फतुहाका प्रतिवेदन प्राप्त है जो (पृष्ठ 27–29 प0) पर रक्षित है द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि पर्यवेक्षण के उपरांत प्राथमिक अभियुक्त राहुल कुमार दामाद, भैंसुर अनिल कुमार, गोतनी आरती देवी के विरुद्ध घटना सत्य पाया गया है। अन्य अभियुक्तों की संलिपत्ता के बिन्दु पर पुलिस महानिरीक्षक द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन पर सभी बिन्दु पर अनुसंधान पूर्ण किये जाने के बाद ही श्रेयस्कर होने की बात कही है।

उपरोक्त प्रतिवेदन पर अपना प्रत्युत्तर में आवेदक ने पुनः पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने तथा मुदालय राहुल कुमार को पुलिस के द्वारा समय पर आरोप पत्र समर्पित नहीं करने के कारण धारा 167(2) द.प्र.स. का लाभ मिल जाने के बात कही गई है और यह भी कहा गया है कि आरती देवी, सीमा देवी, अशोक कुमार के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत खारीज होने के बावजूद पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त प्रतिवेदन पर वरीय पुलिस अधीक्षक पटना का प्रतिवेदन डायरी के साथ उपलब्ध करया गया है जो (पृष्ठ 39–108 प0) पर रक्षित है। उपरोक्त प्रतिवेदन पूर्व में दिये गये प्रतिवेदन के सदृश्य है।

राज्य आयोग के द्वारा संचिका को निबंधक राज्य आयोग को भेजते हुए उन्हें कांड दैनिकी के अवलोकन कर मंतव्य देने का निर्देश दिया गया था। निबंधक राज्य आयोग के मंतव्य प्राप्त है। जिसके अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उन्होंने कांड दैनिकी तथा प्राप्त प्रतिवेदनों के अवलोकन कर अपने मंतव्य में यह कहा है " चूंकि इस केस में तीन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप–पत्र समर्पित है और 4 अभियुक्तों के विरुद्ध अनुसंधान जारी है। ऐसी स्थिति में परिवादी को संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष विरोधपत्र दाखिल करने का अधिकार है। परिवादी इस संबंध में न्यायालय में विरोधपत्र दाखिल कर सकते हैं"।

" चूंकि तीन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप–पत्र समर्पित एवं अन्य के विरुद्ध अनुसंधान जारी है। ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस के द्वारा परिवाद पत्र पतुहाँ थाना कांड संख्या–434/18 के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है"।

संचिका में उपलब्ध कागाजतों के अवलोकन से निबंधक राज्य आयोग के मंतव्य से विपरीत कोई भी मंतव्य पर पहुंचने का कोई भी आधार नहीं है। आवेदक तथा उनके अधिवक्ता के द्वारा यह कहा गया है कि इस संबंध में अभी भी कांड के 4 वर्ष के बीत जाने के बावजूद कांड अनुसंधान अंतर्गत है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फतुहाँ के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि पुलिस अधीक्षक महोदय पटना द्वारा कांड की समीक्षा 22.10.2019 को कर निर्देश के आलोक में 3 सप्ताह के अंदर संबंधित बिन्दु पर अनुसंधान पूर्ण कर समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। अतः वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना को शेष मुदालहों के संलिप्ता के बिन्दु अनुसंधान शीध्र पूर्ण कर अन्तिम निर्णय पर पहुंचने का निर्देश दिया जाता है।

आदेश की प्रति आवेदक को सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया जाता है।